

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(23)वित्त/राजस्व/1994पार्ट

जयपुर दिनांक 31.12.2025

—:आज्ञा:—

वर्ष 2025-26 में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के निम्नांकित अधिकारी के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम एवं पद                      | जन्म तिथि  | सेवानिवृत्ति दिनांक | वर्तमान पदस्थापन |
|----------|--------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| 1        | श्री जितेन्द्र कुमार पिपलानी, सहायक निदेशक | 08.12.1965 | 31.12.2025          | कोटा संभाग, कोटा |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारी के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

आज्ञा से,

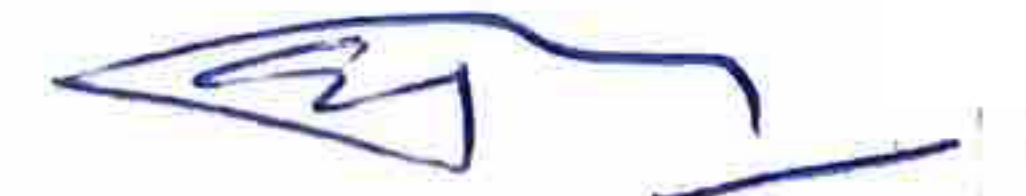


(धनलाल शेरवत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव 31/12/25